UPSR010016412025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06538

क्रिमिनल रिवीजन सं०–82/2025

हासरून पत्नी लड्डन,

निवासी–ग्राम मोहनलालपुरवा दा० हरदत्तनगर गिरन्ट, पर० चर्दा, तह० जमुनहा, जनपद श्रावस्ती।

.........निगरानीकर्ता

बनाम

1. **सरकार उत्तर प्रदेश** द्वारा डी०जी०सी० क्रिमिनल
2. **भगई लाल यादव** पुत्र मोल्हे
3. **मीरा देवी** पत्नी भगई लाल यादव
4. **शोभाराम** पुत्र सुमिरन
5. **सहजराम** पुत्र सुमिरन

(क्रम 2 से 5) निवासीगण ग्राम मोहनलालपुरवा दा० हरदत्तनगर गिरन्ट पर० चर्दा तह० जमुनहा, श्रावस्ती

6. **हल्का लेखपाल मौजा हरदत्तनगर गिरन्ट तहसील जमुनहा सुनील कुमार मिश्रा।**

..........उत्तरदातागण

दिनांक–23.07.2026

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जनपद श्रावस्ती द्वारा प्रार्थना पत्र क्रिमिनल मिस सं० 307/2025, हासरून बनाम भगई लाल यादव, में पारित आदेश दिनांकित 22.08.2025 से क्षुब्ध होकर, संस्थित की गई है, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता/ आवेदिका हासरून का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एन०एस० निरस्त किया गया है।

2– संक्षेप में दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी ने आराजी गाटा सं० 162 रकबा 0.243 हे० मौजा हरदत्तनगर गिरन्ट परगना चर्दा तहसील जमुनहा जिला, श्रावस्ती की भूमि मु० 7,00,000/– रु० में विपक्षी सं० 1 भगई लाल यादव से दिनांक 30.11.2024 को क्रय किया था तथा आराजी मौके पर कब्जा व दखल ले लिया था। उक्त आराजी को विपक्षी सं० 1 ने अन्य विपक्षीगण के सहयोग से छल कपट व फ्राड करके प्रार्थिनी के

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.07.23 16:11:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नाम पैसा हजम कर बैनामा कर दिया है। जबकि उक्त बैनामा करने का विपक्षी सं० 1 भगई लाल यादव को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। भगई लाल यादव ने स्वयं उपरोक्त भूमि का वसीयतनामा अपने नाबालिग पुत्र सचिन के नाम संरक्षिका अपनी पत्नी मीरा देवी को बनाकर सगे बाबा लखपत से रजिस्ट्री दिनांक 18.05.2023 को करवा दिया था। इस वसीयतनामा की जानकारी होते हुये भी भगई लाल यादव ने लेखपाल विपक्षी संग सांठ गांठ करके अपने नाम वरासत उपरोक्त आराजी का करवा लिया। वरासत के आधार पर भगई लाल ने प्रार्थिनी से जमीन बिक्री किया और मु0 7,00,000 / रूपये लेकर उपरोक्त तीन बीघा जमीन का बैनामा फर्जी तौर पर कर दिया। जबकि उक्त बैनामा भगई लाल को करने का अधिकार नहीं था। भगई लाल ने बैनामा करने के बाद वसीयत के आधार पर दावा दायर करके अपनी वरासत स्थगित करवा दिया। विपक्षीगण ने प्रार्थिनी के साथ छल व कपटपूर्वक फ्राड करके बैनामा किया है। प्रार्थिनी को उपरोक्त वसीयतनामा के आधार पर मुकदमा की जानकारी दिनांक 02.03.2025 को हुई तब प्रार्थिनी ने अपने पति के साथ जाकर विपक्षी सं० 1 भगई लाल यादव से कहा तो विपक्षी सं० 1 व 2 नाराज हो गये और विपक्षी सं० 1 व 2 प्रार्थिनी तथा उसके पति को बुरी बुरी गालियां दिया और धमकी दिया कि तुमको जो करना हो करो, मैंने तो तुम्हें बैनामा कर दिया है। प्रार्थिनी के साथ विपक्षीगण 1 ता 5 ने छल कपट किया है, धोखा दिया है, फ्राड किया है तथा प्रार्थिनी का पैसा हड़प लिया है। प्रार्थिनी ने उपरोक्त आशय का प्रार्थनापत्र दिनांकित 10.03.2025 पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती, जिलाधिकारी श्रावस्ती व उपजिलाधिकारी जमुनहा जनपद श्रावस्ती को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थनापत्र प्रेषित किया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थिनी ने न्यायालय पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। विपक्षीगण ने संज्ञेय अपराध कारित किया है। न्यायहित में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर उचित कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गई।

3– आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र तथा तथा फेहरिस्त से पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रा० पत्र की प्रति, खतौनी की प्रति, बैनामा की प्रति, ऑनलाइन शिकायती प्रा० पत्र की प्रति, वसीयतनामा की प्रति, जिलाधिकारी को प्रेषित प्रा० पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल की गई है।

4– आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एन०एस० को आदेश दिनांकित 22.08.2025 द्वारा निरस्त किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डित निगरानी आवेदिका द्वारा योजित की गई है।

5– निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इस कथन के साथ योजित की गई है कि विचारण न्यायालय ने तथ्यों के विपरीत विधिक विवेक का प्रयोग किये बिना दिनांक 22.08.2025 आदेश पारित करके कानूनी एवं विधिक त्रुटि किया है। विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता के तथ्यों का स्पष्ट रूप से अवलोकन नहीं किया है तथा मात्र सरसरी तौर पर ये कहते हुये एक गलत रूलिंग का हवाला देते हुये (प्रियंका श्री बनाम यू०पी स्टेट में) पारित विधि व्यवस्था क्रिमिनल अपील

781/12 निर्णित दिनांकित 19.03.2015 में उक्त तथ्यों से मेल नहीं खाता है। उक्त रूलिंग या सांइटेशन का कथानक अलग है और रिवीजन कर्ता का कथानक अलग है। निगरानीकर्ता को अपनी खतौनी उत्तरदाता सं० 2 ने दिखाकर प्रश्नगत गाटा सं० 162 रकबा 0.243 हे0 पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके सेल डीड यह जानते हुये निगरानीकर्ता के पक्ष में कर दिया। प्रश्नगत सम्पत्ति का वसीयत उत्तरदाता सं० 1 के बाबा ने उत्तरदाता सं० 2 के नाबालिग पुत्रों को कर दिया है। विचारण न्यायालय ने लोक सेवक का बचाव किया है जबकि विचारण न्यायालय को उक्त आदेश को पारित करते समय सभी पक्षकारों को समान न्याय सुलभ का सिद्धान्त का पालन करते हुये निष्पक्ष भाव से पीड़ित पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये था। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विचारण न्यायालय पर 173 (4) बी०एन०एस० दिनांकित 24.03.2025 प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से विपक्षीगणों द्वारा उक्त वाद के विरूद्ध क्रिमिनल मिस० 331/2025 मीरा देवी बनाम भगई लाल आदि द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध बनावटी वाद प्रस्तुत करने के बाद दोनों को एक साथ सुनवाई करने के बाद आदेश पारित करते समय भी विधि त्रुटि विचारण न्यायालय ने किया है। निगरानीकर्ता के साथ उत्तरदातागणों ने फ्राड व फरेब किया है जो कि साफ–साफ परिलक्षित होता दिख रहा है। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा ठीक से अवलोकन नहीं किया गया तथा विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय विधिक त्रुटि के वजह से निगरानीकर्ता की अपूर्णनीय क्षति हो गई है। जिसकी भरपाई होना सम्भव नहीं है। विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता के तथ्यों को यह कहते हुये निरस्त कर दिया है कि उक्त निगरानीकर्ता के तथ्यों में अपराध होना नहीं पाया जाता है। उक्त तथ्य सिविल प्रकृति का है जबकि ऐसा कतई नहीं है। उत्तरदाता सं० 1 ने यह जानते हुये निगरानीकर्ता के पक्ष में सेल डीड कर दिया है कि वह उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति गाटा सं0 162 का नुमाइसी खातेदार है। असल मालिक उत्तरदाता के नाबालिक पुत्र हैं। यह तथ्य कतई सिविल प्रकृति का नहीं है और सिविल से निगरानीकर्ता को किसी भी प्रकार से न्याय मिलना सम्भव नहीं है। निगरानीकर्ता की निगरानी हाजा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार फरमाकर निगरानी हाजा में उल्लिखित तथ्यों व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 22.08.2025 को निरस्त किया जाना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने एवं पुलिस विवेचना सुनिश्चित कराने के लिये थाना प्रभारी मल्हीपुर को आदेश पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गई कि इस न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर निगरानी में उल्लिखित तथ्यों व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 22.08.2025 निरस्त करते हुए, प्रार्थनापत्र के तथ्यों के प्रकाश में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने व पुलिस विवेचना सुनिश्चित कराने के लिये थाना मल्हीपुर को आदेश पारित किए जाने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित करने की कृपा करे।

6– उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं अवर न्यायालय से तलबशुदा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

7– उत्तरदाता सं० 2 भगई लाल यादव की ओर से सूची 19बी/1 के माध्यम से वाद पत्र न्यायालय सिवल जज (जू०डि०) श्रावस्ती की छायाप्रति 19बी/2 ता 19बी/5 एवं छाया प्रति आधार कार्ड कागज सं० 19बी/6 दाखिल किया गया।

8– उत्तरदातागण की ओर से निगरानी के विरुद्ध आपत्ति मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.08.2025 को पारित करने से पूर्व तथाकथित घटना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच कराया था और जांच आख्या आने के पश्चात आख्या एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन के बाद आदेश दिनांक 22.08.2025 को पारित किया है जिसमं कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है तथा निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है। विद्वान अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.08.2025 को पारित करने से पूर्व जिलाधिकारी श्रावस्ती एवं राजस्व अधिकारियों से विभिन्न प्रकार की जांच कराया था और आख्या में तथाकथित घटना को असत्य पाया गया है। निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता ने जो भी आरोप उत्तरदाता सं० 2 के विरुद्ध लगाए हैं कतई गलत हैं। यह बात सत्य है कि निगरानीकर्ता के पक्ष में गाटा सं० 162 रकबा 0.243 हे० भूमि का बिक्री किया था। बिक्री के समय उक्त सम्पत्ति उत्तरदाता सं० 2 के नाम थी और उक्त सम्पत्ति उत्तरदाता सं० 2 की पैतृक सम्पत्ति है जो पूर्वजों के जमाने से काबिज व दखील चला आ रहा है। वर्तमान समय में उत्तरदाता सं० 2 का ही कब्जा व दखल है। निगरानीकर्ता ने न्यायालय सिविल जज अपर खण्ड जनपद श्रावस्ती के न्यायालय पर वसीयत निरस्तीकरण का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। मामला सिविल प्रकृति का है। जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से मात्र समय की बर्बादी है। उत्तरदाता सं० 6 हल्का लेखपाल सुनील कुमार मिश्र एक लोक सेवक के श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चाधिकारियों को वरासत के संबंध में आख्या प्रस्तुत किया था न कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के उद्देश्य आख्या प्रस्तुत किया है। निगरानीकर्ता के द्वारा विधिक राय लेकर उत्तरदाता सं० 6 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र व निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता ने उत्तदाता सं० 2 की भूमि गाटा सं० 162 के रकबा 0.243 हे० को 7 लाख रुपये में क्रय करना बताया है जो कि कतई गलत है। मात्र एक लाख रुपयों किश्तों में भुगतान किया था। बाकी शेष बकाया पैसा भी नहीं दिया तथा उक्त बैनामा बिना प्रतिफल बैनामा है जो शून्यकरणीय है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कोई भी विधिक त्रुटि नहीं है और न ही कोई अवैधानिकता है। अतः प्रार्थना की गई कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 की पुष्टि करते हुए यह निगरानी निरस्त की जाए।

9– विपक्षी सं० 1 उ०प्र० राज्य सरकार की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्रावस्ती द्वारा कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, बल्कि दाण्डिक निगरानी का मौखिक विरोध करते हुए कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। निगरानी गलत तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है। उक्त आधारों पर विद्वान

विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को पुष्ट किए जाने की याचना करते हुए निगरानी निरस्त किए जाने की याचना की गई।

10– निगरानीकर्ता/आवेदिका की ओर से मुख्य तर्क दिया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2025 विधि एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत है। विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन गहनतापूर्वक नहीं किया है। निगरानीकर्ता को अपनी खतौनी उत्तरदाता सं० 2 ने दिखाकर प्रश्नगत गाटा सं० 162 रकबा 0.243 हे0 पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके सेल डीड यह जानते हुये निगरानीकर्ता के पक्ष में कर दिया। प्रश्नगत सम्पत्ति का वसीयत उत्तरदाता सं० 1 के बाबा ने उत्तरदाता सं० 2 के नाबालिग पुत्रों को कर दिया है। विचारण न्यायालय ने लोक सेवक का बचाव किया है जबकि उसे पीड़ित पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये था। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विचारण न्यायालय पर धारा 173 (4) बी०एन०एस० दिनांकित 24.03.2025 प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से विपक्षीगणों द्वारा उक्त वाद के विरूद्ध क्रिमिनल मिस० 331/2025 मीरा देवी बनाम भगई लाल आदि द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध बनावटी वाद प्रस्तुत करने के बाद दोनों को एक साथ सुनवाई करने के बाद आदेश पारित करते समय भी विधि त्रुटि विचारण न्यायालय ने किया है। निगरानीकर्ता के साथ उत्तरदातागणों ने फ्राड व फरेब किया है। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा ठीक से अवलोकन नहीं किया गया तथा विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय विधिक त्रुटि के वजह से निगरानीकर्ता की अपूर्णनीय क्षति हो गई है। उत्तरदाता सं० 1 ने यह जानते हुये निगरानीकर्ता के पक्ष में सेल डीड कर दिया है कि वह उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति गाटा सं0 162 का नुमाइसी खातेदार है। असल मालिक उत्तरदाता के नाबालिक पुत्र हैं। विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता के तथ्यों को यह कहते हुये निरस्त कर दिया है कि उक्त निगरानीकर्ता के तथ्यों में अपराध होना नहीं पाया जाता है जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० में निगरानीकर्ता/आवेदिका द्वारा यह कथन किया गया था कि उक्त मामले में विपक्षी भगई लाल से जब फ्राड की शिकायत की गई तो उनके द्वारा निगरानीकर्ता/आवेदिका के पति को बुरी बुरी गालियाँ दी गई तथा धमकी भी दिया था। उक्त के विपरीत अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में कहा गया कि उक्त मामला सिविल प्रकृति का है। यह तथ्य कतई सिविल प्रकृति का नहीं है और इससे निगरानीकर्ता को किसी भी प्रकार से न्याय मिलना सम्भव नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

11– विपक्षीगण 01 लगायत 06 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तर्क देते हुए कहा गया कि विद्वान अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 22.08.2025 पूर्णतः विधि सम्मत, तथ्यपरक एवं तर्कसंगत है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 173(4) बी०एन०एन०एस० का प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय द्वारा यह कहकर खारिज कर दिया कि प्रार्थनापत्र तथ्यों का विलोपन कर विधिक राय के आधार पर विपक्षीगण पर दबाव बनाने की नियत से योजित किया गया जो कि न्यायिक प्रक्रिया का

दुरुपयोग है। प्रकरण पूर्णतया सिविल प्रकृति का है जिसके लिए आवेदिका के पास राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का अवसर विद्यमान है। सरकारी सेवक द्वारा जो भी कृत्य किया गया है वह अपने पदीय कर्तव्यों की पूर्ति के क्रम में किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, थाना आख्या एवं जिलाधिकारी श्रावस्ती की आख्या का गहनता से परिशीलन करने के उपरान्त ही विवेकपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी निरस्त होने योग्य है।

12– जहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) बी०एन०एन०एस० के अधीन कोई प्रार्थना–पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट प्रार्थना–पत्र में विहित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अन्वेषण कराये जाने का आदेश पारित कर सकता है या उसे परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है और जहां पर प्रार्थना–पत्र में विहित तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचना कराया जाना आवश्यक नहीं है, तो प्रार्थना–पत्र को निरस्त भी कर सकता है। किन मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अन्वेषण किये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **गुलाब चन्द उपाध्याय बनाम उ०प्र० राज्य 2002 (1) जे०आई०सी० 853 इलाहाबाद** में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि विवेचना के लिए उन मामलों में आदेश पारित किया जाना आवश्यक है, जहां, अभियुक्त के सम्बन्ध में पूरी जानकारी आवेदक को न हो अथवा यदि प्रकरण में किसी चल सम्पत्ति अथवा किसी अन्य वस्तु की बरामदगी किये जाने की आवश्यकता हो अथवा यदि प्रकरण ऐसा हो, जिसमें आवेदक तथ्यों के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित न कर सके।

13– माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा **ललिता कुमारी** बनाम स्टेट ऑफ **यू०पी० 2014(1) जे०आई०सी० 166 (एससी)** में विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 154 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना बाध्यकारी है, यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना विदित होता हो तथा ऐसे केसों में प्रारंभिक जॉच कराया जाना आवश्यक नहीं है। यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रतीत न होता हो, परंतु यह लगता हो कि इस प्रकरण में जॉच कराया जाना आवश्यक है, तब ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रारंभिक जॉच कराकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध कारित हुआ है और यदि प्रारंभिक जॉच के बाद संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रकट होता हो, तब पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य दर्ज की जानी चाहिये।

14– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 22.08.2025 में उल्लिखित किया है कि आवेदिका द्वारा किये गये कथनों तथा प्रारम्भिक जांच आख्या तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित जांच आख्या के अवलोकन से प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य रूप से पक्षों के मध्य बिना अधिकार के बैनामा करने व छल करने को लेकर विवाद है जो कि सिविल प्रकृति का होना परिलक्षित होता है। यह भी विदित है कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद होने

पर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) पर वाद योजित किया गया था जो कि विचाराधीन है। आवेदिका द्वारा विपक्षी पर दबाव बनाने के आशय से तथ्यों का विलोपन कर आपराधिक स्वरूप प्रदान करते हुए प्रार्थनापत्र योजित कर दिया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **All Cargo Movers (1) Pvt. Ltd. Vs. Dhanesh Badarmal Jain & others 2008 A.I.R. S.C. 247** में यह अवधारित किया गया है कि "यदि किसी कृत्य के परिप्रेक्ष्य में सिविल अनुतोष उपलब्ध है तो ऐसी परिस्थिति में दाण्डिक कार्यवाही को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, और यह मात्र विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **Sagar Suri & others Vs. State of U.P. & others, 2000 (Vol.1) SCC 636** में यह अवधारित किया गया है कि "प्रथम दृष्टया कोई तथ्य व्यवहारिक प्रकृति का है तो यदि उसे दाण्डिक स्वरूप देकर विधि के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो यह विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा क्योंकि दाण्डिक प्रक्रिया व्यवहारिक अनुतोष के लिए छोटा रास्ता नहीं हो सकता है।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **Chandra Ratna Vs K.C. Pallanisami & others] 2013(6) SCC 740** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि दीवानी वाद को फौजदारी मामले में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **Priyanka Srivastava Vs. State of U.P., 2015 SCC** में यह मत व्यक्त किया गया है कि धारा 156 (3) दं०प्र०सं०/173 (4) बी०एन०एन०एस० के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को विवेक का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया जाना चाहिए केवल प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख करने मात्र से मजिस्ट्रेट न्यायालय को यह बाध्यता नहीं है कि वह प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करें।"

15– विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी०एन०एन०एस० में किये गये कथनों के समग्र अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य विवाद की मूल प्रकृति दीवानी प्रकृति की है। विवाद उत्पन्न होने पर हासरून की ओर से सक्षम सिविल न्यायालय (अ०ख०), श्रावस्ती में वाद हासरून बनाम सचिन व अन्य सिविल वाद योजित होना बताया गया है।

16– माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य विवाद की प्रकृति दीवानी प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में दाण्डिक प्रकृति का वाद संस्थित किया जाना उचित नहीं है।

17– स्पष्ट है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 तथ्यों की विवेचना के उपरान्त विधिसम्मत् तरीके से एवं अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा निगरानी बलहीन होने के कारण

निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.08.2025 पुष्ट किया जाता है।

आदेश की एक प्रति के साथ विद्वान अवर न्यायालय का अभिलेख, संबंधित न्यायालय को अविलम्ब वापस प्रेषित किया जाये।

दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक–23.07.2026 **(दिनेश चन्द)**
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–23.07.2026 **(दिनेश चन्द)**
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती।